अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTIUTE OF MEDICAL SCIENCES [भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CELL]

फ.सं.2-31/2013-स्था.(भर्ती) F.No. 2-31/2013-Estt. (RCT) Vol-I अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 Ansari Nagar, New Delhi-29 दिनांक/Date:

0 1 NOV 2022

कार्यालय/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में परिचर्या अधीक्षक के पद पर पदोन्नति । Subject: - Promotion to the post of Nursing Superintendent at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 29.03.2022 को परिचर्या अधीक्षक के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति मीटिंग की सिफ़ारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, **सुश्री सुचित्रा कुमार, उप परिचर्या अधीक्षक,** को वेतन मैट्रिक्स के लेवल -11 के अंतर्गत परिचर्या अधीक्षक के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee held on 29.03.2022 and its acceptance by the Competent Authority, Mrs. Suchitra Kumar, Deputy Nursing Superintendent is promoted to the post of Nursing Superintendent in Level- 11 of the Pay Matrix from the date she assume the charge of the post of Nursing Superintendent.

वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.डी.डी.टी.सी.,गाजियाबाद/ एन.सी.आई झज्जर हरियाणा और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में उनके स्तर के कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगीं।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/ NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar/NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other Centre opened by the Institute in future, from the date she assume the charge of the post.

उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(I) के अंतर्गत पदोन्नित की तारीख़ अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तारीख़ से तय करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें असंशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नित योजना/संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नित योजना के अंतर्गत बशर्ते उसे एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान नहीं किया गया हो, इस पदोन्नित से पहले।

She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22(I) either from the date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided she has not been granted financial up gradation under MACP Scheme, before this promotion.

परिचर्या अधीक्षक के पद पर पदोन्नित की पेशकश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एस. एल. पी. (सी)नंबर 30621/2011 और 31288/2017 के परिणाम या इस संबंध में डी. ओ. पी. टी. से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Nursing Superintendent is subject to outcome of the SLP (C) 30621/2011 and No.31288/2017 pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification/direction from any other court/ DoPT/MoH&FW etc. in this regard.

वे दो वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रहेंगें। परिवीक्षा अविध के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएगी।

She will be on probation for a period of two years. During the period of probation, she will be required to put in satisfactory service failing which her service will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उनकी सेवा की अन्य शर्ते जोकि संस्थान के कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी। Other terms and condition of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

> [के सी भट्ट /K.C.BHATT] प्रशासनिक अधिकारी / ADMIN. OFFICER

सुश्री- सुचित्रा कुमार, उप परिचर्या अधीक्षक (द्वारा: प्रशासनिक अधिकारी- डॉ आर पी सी Mrs. Suchitra Kumar, DNS

Through: Administrative Officer- Dr. R.P.C Copy to:-

- 1) मुख्य- डॉ॰ आर पी सी /Chief-Dr. R.P.C
- 2) स्थापना अनुभाग/Establishment Section- डॉ. आर पी सी / Dr. R.P.C
- 3) प्रशासनिक अधिकारी/ Admin. Officer- डॉ. आर पी सी / Dr. R.P.C
- 4) लेखा अनुभाग- / Account Section डॉ॰ आर पी सी / Dr. R.P.C
- 5) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग/ सतर्कता प्रकोष्ठ General Section /Estate Section/Legal Cell /GPF Section /Vigilance Cell
- 6) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ/संरक्षण मिसिल ACR's Cell/SC/ST Cell
- 7) प्रोफेसर इंचार्ज,कंप्यूटर सुविधा- कृपया इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें Professor-in -charge Computer Facility - Kindly upload the same on the AIIMS Institute website.
- 8) Guard file